भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2243
बुधवार, 09 अगस्त, 2023/ श्रावण 18, 1945(शक) को उत्तरार्थ

पैक्स को बहुउद्देशीय समितियों को बदलना

2243 डा. सुधांशु त्रिवेदी:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने और उन्हें सफल और जीवंत व्यावसायिक उद्यमों में परिवर्तित करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के स्तर पर अवसंरचना के सृजन और आधुनिकीकरण तथा उन्हें बहुउद्देश्यीय समितियों में परिवर्तित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) खाद्यान्न की बर्बादी को कम करने के लिए पैक्स के स्तर पर भंडारण क्षमता का विकेन्द्रीकरण करने हेतु क्या पहल की जा रही है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री

(श्री अमित शाह)

(क) और (ख): सहकार-से-समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने, देश में सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ करने, जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को गहरा करने और सहकारी समितियों को सफल और जीवंत व्यावसायिक उद्यमों में परिवर्तित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने देश भर में विभिन्न पहलें की हैं, जैसे :

क. प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के स्तर पर बुनियादी ढांचे के सृजन और आधुनिकीकरण के लिए उपाय तथा उन्हें बहुउद्देश्यीय समितियों में बदलना (14 पहल)

1. **पैक्स को बहु-उद्देशीय, बहु-आयामी और पारदर्शी संस्थान बनाने के लिए आदर्श उपविधियां**: पैक्स को 25 से अधिक व्यवसायिक कार्यकलाप करने में सक्षम बनाने हेतु आदर्श उपविधियों को तैयार कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संबंधित राज्य सहकारिता अधिनियम के अनुसार अपनाने हेतु परिचालित की गईं । आदर्श उपविधियों को 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अपनाया जा चुका है।

2. **कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से पैक्स का सशक्तिकरण:** 2,516 करोड़ रुपए के परिव्यय से 63,000 पैक्स को एक ERP आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर में ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया चल रही है।

3. **कवर न हुई पंचायतों में नए बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियां**: आगामी 5 वर्षों में प्रत्येक पंचायत/गांव को कवर करते हुए 2 लाख नई बहुउद्देशीय पैक्स या

प्राथमिक डेयरी/ मात्स्यिकी सहकारी समितियां गठित करने की एक योजना अनुमोदित की गई है।

4. **खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना**: पैक्स स्तर पर अन्न भंडारण के लिए गोदामों और अन्य कृषि अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु प्रायोगिक परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है।

5. **ई-सेवाओं तक बेहतर पहुंच हेतु कॉमन सेवा केन्द्र (CSCs) के रूप में पैक्स**: 18,000 से अधिक पैक्सों को उनकी व्यवहार्यता बढ़ाने, ई-सेवाएं उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए कॉमन सेवा केन्द्र के रूप में आनबोर्ड किया गया।

6. **पैक्स द्वारा नए किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का गठन**: ऐसे प्रखंडों में जहां किसान उत्पादक संघों का गठन नहीं हुआ है या ऐसे प्रखंड जो किसी कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, में 1,100 अतिरिक्त किसान उत्पादक संघों का गठन किया जाएगा ।

7. **पैक्स को खुदरा पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट के आवंटन में प्राथमिकता:** पैक्स को खुदरा पेट्रोल/ डीज़ल आउटलेट के आवंटन के लिए कंबाइंड कैटेगरी 2 (CC2) में शामिल किया गया है । थोक पेट्रोल पम्प लाइसेंस वाले मौजूदा पैक्स को खुदरा आउटलेट में परिवर्तित होने की अनुमति दी गई है।

8. **अपने कार्यकलापों में विविधता लाने के लिए पैक्स को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप**: पैक्स को अब एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हेतु आवेदन करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

9. **ग्रामीण स्तर पर जेनरिक दवाइयों की सुगम पहुंच के लिए जन औषधि केंद्र के रूप में पैक्स**: पैक्स को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र चलाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है जिससे उन्हें आय का अतिरिक्त स्रोत प्राप्त होगा।

10. **उर्वरक वितरण हेतु प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (PMKSK) के रूप में पैक्स:** देश में किसानों को उर्वरक और संबंधित सेवाओं तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) चलाने की अनुमति दी गई है।

11. **ऊर्जा सुरक्षा हेतु पैक्स स्तर पर PM-KUSUM योजना का अभिसरण**: पैक्स से जुड़े किसान सौर- कृषि जल पंप का उपयोग तथा अपने खेतों में फोटोवोल्टेक मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हैं ।

12. **पैक्स द्वारा ग्रामीण नल जल आपूर्ति (PWS) के लिए प्रचालन व रखरखाव (O&M) का कार्य किया जाना:** पैक्स को ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण नल जल आपूर्ति (PWS) के लिए प्रचालन और रखरखाव कार्य की अनुमति दी गई है ।

13. **डोर-स्टेप वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए माइक्रो-ATMs से बैंक मित्र सहकारी समितियां**: सहकारी बैंकों द्वारा माइक्रो-ATMs अब सहकारी समितियों जैसे डेयरी, मात्स्यिकी को दिए जा रहे हैं ।

14. **दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड**: तुलनात्मक रूप से निम्न ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने के लिए सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है ।

ख. शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों का सशक्तीकरण (9 पहलें)

15. शहरी सहकारी बैंकों को अपने कारोबार में विस्तार के लिए नई शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई है।

16. शहरी सहकारी बैंकों को आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को डोर-स्टेप सेवाएं देने की अनुमति दी गई है ।

17. सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों की तरह बकाया ऋणों के वन-टाइम निपटान की अनुमति दी गई है ।

18. शहरी सहकारी बैंकों को दिए गए प्राथमिक सेक्टर ऋण (PSL) लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय-सीमा बढ़ाई गई ।

19. शहरी सहकारी बैंकों के साथ नियमित इंटरएक्शन हेतु आरबीआई में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई।

20. ग्रामीण और शहरी सहकारी बैंकों के लिए आरबीआई द्वारा व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा दुगुनी से अधिक की गई ।

21. ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा अब वाणिज्यिक रीयल एस्टेट/रिहाइशी आवासन सेक्टर को ऋण दिए जा सकेंगे, जिससे उनके कारोबार का विविधीकरण होगा ।

22. 'आधार समर्थित भुगतान प्रणाली' (AePS) में सहकारी बैंकों को ऑनबोर्ड कर लाइसेंस शुल्क को लेनदेन की संख्या से जोड़कर कम कर दिया गया है ।

23. ऋण देने में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए CGTMSE योजना में सदस्य ऋणदाता संस्थान (MLIs) के रूप में गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को अधिसूचित किया गया ।

ग. आयकर अधिनियम में सहकारी समितियों को राहत (6 पहलें)

24. ऐसी सहकारी समितियां जिनकी आय 1 से 10 करोड़ रुपए के बीच है, के अधिभार को 12% से घटाकर 7% किया गया ।

25. सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर-दर (MAT) को 18.5% से घटाकर 15% किया गया ।

26. सहकारी समितियों द्वारा नकद लेनदेन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत एक स्पष्टीकरण जारी किया गया ।

27. 31 मार्च, 2024 तक विनिर्माण कार्य आरंभ करने वाली नई सहकारी समितियों की मौजूदा 30% की कर-दर एवं अधिशेष को कम करके 15% लिया जाएगा।

28. पैक्स और प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंको (PCARDBs) द्वारा नकद में जमा व ऋण की सीमा को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति सदस्य कर दिया गया ।

29. सहकारी समितियों के लिए स्रोत पर कर कटौती (TDS) किए बिना, नकद निकासी सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया ।

घ. सहकारी चीनी मिलों को पुन:सक्रिय करना (4 पहलें)

30. **सहकारी चीनी मिलों को आयकर से राहत**: सहकारी चीनी मिलों पर किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य अथवा राज्य के सलाह मूल्य तक, गन्ने के उच्चतर मूल्यों के भुगतान करने पर अतिरिक्त आयकर नहीं देना पड़ेगा ।

31. **सहकारी चीनी मिलों के आयकर से संबंधित दशकों पुराने लम्बित मुद्दों का समाधान**: मूल्यांकन वर्ष 2016-17 से पूर्व की अवधि के लिए सहकारी समितियों को गन्ना किसानों को किए गए भुगतानों को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति होगी जिससे उन्हें लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राहत प्राप्त हो सकेगी ।

32. **सहकारी चीनी मिलों के सशक्तीकरण के लिए एनसीडीसी द्वारा 10,000 करोड़ रुपए की ऋण योजना का शुभारंभ**: इस योजना का उपयोग एथनॉल संयंत्र स्थापित करने या कोजेनरेशन संयंत्र लगाने या कार्यशील पूंजी के लिए अथवा तीनो कार्यों के लिए किया जा सकेगा ।

33. **सहकारी चीनी मिलों को एथनॉल की खरीद में प्राथमिकता**: एथनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम (EBP) के तहत भारत सरकार द्वारा एथनॉल खरीद के लिए सहकारी चीनी मिलों को निजी कंपनियों के समरूप रखा जाएगा ।

ङ. राष्ट्रीय स्तर पर तीन नयी बहुराज्य समितियाँ (3 पहलें)

34. **प्रमाणित बीजों के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी बीज समिति**: बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत शीर्ष स्तर की नई बहुराज्य सहकारी बीज समिति की स्थापना की गई है जो अंब्रेला संगठन के रूप में एकल ब्रांड नाम के अंतर्गत उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन व वितरण करेगी ।

35. **जैविक खेती के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी ऑर्गैनिक समिति**: प्रमाणित एवं प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण व विपणन के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत शीर्ष स्तर की नई बहुराज्य सहकारी ऑर्गैनिक सोसाइटी की स्थापना एक अंब्रेला संगठन के रूप में की गई है ।

36. **निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति**: सहकारी क्षेत्र से किए जाने वाले निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002

के तहत शीर्ष स्तर की नई बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति की स्थापना एक अंब्रेला संगठन के रूप में की गयी ।

च. सहकारी समितियों में क्षमता निर्माण (3 पहलें)

37. **विश्व के सबसे बड़े सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना:** सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान एवं विकास और प्रशिक्षित जन शक्ति की सतत और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है ।

38. **सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण की नई योजना**: सहकारी आंदोलन को सशक्त करने, VAMNICOM, NCCT और JCTC की फैकल्टी का क्षमता निर्माण, सहकारी समितियों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देना, इत्यादि ।

39. **राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) के माध्यम से प्रशिक्षण एवं जागरूकता संवर्द्धन:** एनसीसीटी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3,287 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और लगभग 2,01,507 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया ।

छ. 'सुगम व्यवसाय' हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग (2 पहलें)

40. **केन्द्रीय पंजीयक के कार्यालय को सुदृढ़ करने के लिए कम्प्यूटरीकरण:** इससे बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए एक डिजिटल परितंत्र तैयार होगा जिससे आवेदनों और सेवा अनुरोधों पर समयबद्ध ढंग से कार्य किया जा सकेगा ।

41. **राज्यों /संघ राज्यक्षेत्रों में सहकारी समितियों के राज्य पंजीयकों (RCSs) के कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण की योजना**: सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सहकारी समितियों के लिए सुगम व्यवसाय में वृद्धि एवं पारदर्शी कागज-रहित कार्यप्रणाली के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम का निर्माण ।

ज. अन्य पहलें (7 पहलें)

42. **प्रमाणित और अद्यतित डाटा भंडार के लिए नयी राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस:** हितधारकों को नीति निर्माण और कार्यान्वयन में सुविधा के लिए देश में सहकारी समितियों का एक डाटाबेस तैयार करना ।

43. **नई राष्ट्रीय सहकारी नीति का निर्माण:** 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना की प्राप्ति के लिए एक समर्थकारी परितंत्र के सृजन हेतु नई राष्ट्रीय सहकारी नीति तैयार करने के लिए देश भर के 49 विशेषज्ञों और हितधारकों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति गठित की गई ।

44. **बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2023:** 97वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को शामिल करने, शासन को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही बढ़ाने और बहु-राज्य सहकारी समितियों में चुनावी प्रक्रिया में सुधार करने के लिए एमएससीएस अधिनियम, 2002 में संशोधन किया गया है।

45. **जेम पोर्टल पर सहकारी समितियों को 'क्रेता' के रूप में शामिल करना**: सहकारी समितियों को जेम पर 'क्रेता' के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति दी गई जिससे वे किफायती व अधिक पारदर्शिता के साथ लगभग 40 लाख विक्रेताओं से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कर सकेंगे ।

46. **कार्यक्षेत्र व पहुँच बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) का विस्तार:** एनसीडीसी द्वारा विभिन्न सेक्टरों में सहकारी समितियों के लिए नई योजनाएं जैसे स्वयं-सहायता समूहों के लिए 'स्वयंशक्ति सहकार'; दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार'; डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार' और मत्स्य पालन के लिए 'नील सहकार ' की नई योजनाएं आरंभ की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में एनसीडीसी ने 41,024 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का संवितरण किया।

47. **कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का कंप्यूटरीकरण:** दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना को सशक्त बनाने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना शुरू की जा रही है ।

48. **सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों को रिफंड:** सहारा समूह की सहकारी समितियों के वैध जमाकर्ताओं को उनकी समुचित पहचान और उनकी जमाराशियों एवं दावों के प्रमाण प्रस्तुत किए जाने पर पारदर्शी ढंग से भुगतान के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है।

(ग): सरकार ने दिनांक 31.05.2023 को "सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना" को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने के लिए मंजूरी दी है। योजना के अंतर्गत, 'संपूर्ण-सरकारी' दृष्टिकोण का लाभ उठाकर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के स्तर पर विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, जिसमें गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयाँ, उचित मूल्य की दुकान, आदि शामिल हैं।

पैक्स स्तर पर 500 मेट्रिक टन से 2000 मेट्रिक टन तक की विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता के निर्माण द्वारा पर्याप्त भंडारण क्षमता की स्थापना से खाद्यान्न की बर्बादी में कमी आएगी, देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी, कम दरों पर उपज की मजबूरन बिक्री को रोका जा सकेगा और किसानों को अपनी उपज के उचित मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। चूंकि पैक्स खरीद केंद्र के साथ-साथ उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के रूप में भी काम करेगी, इसलिए खरीद केंद्रों तक खाद्यान्न के परिवहन और फिर गोदामों से एफपीएस तक स्टॉक को वापस पहुंचाने में होने वाली लागत में भी कमी आएगी।

*****